सं. डब्ल्यू 02/0004/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)- जी एल - XVI/18

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक: 04 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.1997 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग के दिनांक 03.04.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरें (1997 का वेतन संशोधन) निम्नप्रकारेण कर दी जाएं:

(क) जिस तारीख से देय है 01.07.2018

(ख) मार्च, 2018-मई, 2018 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100)

मार्च, 2018	6552
अप्रैल, 2018	6572
मई, 2018	6596
तिमाही का औसत	6573

(ग) मूल्य सूचकांक: 1708 (दिनांक 01-01-1997 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 4865 अंक (6573 -1708)

(ड.) दिनांक 01-07-2018 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 284.8% [(4865 ÷ 1708) X 100]

2. महंगाई भत्ते की ये दरें औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिनके वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.1997 से संशोधित कर दिए गए हैं।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव